

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान
शासन सचिवालय, जयपुर

क्रमांक:एफ.8(1)(1)/निर्वा/2024/1220

जयपुर, दिनांक: -26-02-2026

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषिति महानिदेशक पुलिस, समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर। (कलक्टर) राजस्थान।

विषय: General/Bye-election to Lok Sabha & State/UT Legislative Assemblies –
Randomization of Police Personnel in presence of the Police Observers – reg.

प्रसंग: भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक No.464/INST/2022/EPS दिनांक
23.02.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के प्रासंगिक निर्देश दिनांक 23.02.2026 की छायाप्रति संलग्न कर अनुरोध है कि उक्त निर्देश चुनाव अधिकारियों, जिला पुलिस अधीक्षक, पुलिस आयुक्त, रिटर्निंग अधिकारियों, सेक्टर अधिकारियों और अन्य सभी संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के ध्यान में लाये जाने का श्रम करावें। सुलभ सन्दर्भ हेतु आयोग के प्रासंगिक पत्र दिनांक 23.02.2026 का हिन्दी वर्जन संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

भवदीय

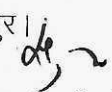
(नवीन महाजन)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:एफ.8(1)(1)/निर्वा/2024/1220

जयपुर, दिनांक:-26-02-2026

प्रतिलिपि निम्न को आयोग के पत्र दिनांक 23.02.2026 की छाया प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. निजी सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. श्री संजीव कुमार प्रसाद, सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।
4. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, कानून एवं व्यवस्था, राजस्थान, जयपुर।
5. पुलिस आयुक्त, जयपुर एवं जोधपुर।
6. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
7. समस्त विधानसभा/लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए रिटर्निंग ऑफिसर, राजस्थान।
8. प्रभारी अधिकारी, सामान्य शाखा, प्रथम, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।


विशेषाधिकारी, निर्वाचन विभाग
राजस्थान, जयपुर।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश दिनांक 23.02.2026 का हिन्दी वर्जन

भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली ने अपने निर्देश दिनांक 15.03.2023, 14.06.2023, Manual on Force Deployment, 2023 और Handbook for Police Officers, 2023 में दिए गए नियमों को देखने का निर्देश दिया है।

अब, पोलिंग कर्मियों के रैंडमाइजेशन से जुड़े नियमों के अनुसार, आयोग ने फैसला लिया है कि "मतदान के दिन पोलिंग स्टेशन पर तैनात राज्य पुलिस कर्मियों का रैंडमाइजेशन उस जिले के चुनाव क्षेत्रों के लिए तैनात पुलिस पर्यवेक्षक की मौजूदगी में किया जायेगा।"

इसके अतिरिक्त आयोग के निर्देश दिनांक 15.03.2023, 14.06.2023 और Manual on Force Deployment, 2023 और Handbook for Police Officers, 2023 में बताई गई अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

उक्त निर्देश चुनाव अधिकारियों, जिला पुलिस अधीक्षक, पुलिस आयुक्त, रिटर्निंग अधिकारियों, सेक्टर अधिकारियों और अन्य सभी संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के ध्यान में लाये जावें।

भारत निर्वाचन आयोग
ELECTION COMMISSION OF INDIA

Tel. No. 011-23052144

Fax 011-23052001

Website: www.eci.gov.in

No.464/INST/2022/EPS

निर्वाचन सदन

अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

Nirvachan Sadan

Ashoka Road, New Delhi-110001

Dated: 23rd February, 2026

To,

1. The Chief Electoral Officers
of All States/UTs
2. Director General of Police
of All States/UTs

Subject: General/Bye-election to Lok Sabha & State/UT Legislative Assemblies - Randomization of Police Personnel in presence of the Police Observers-reg.

Reference: 1. Inst No. 464/INST/2022/EPS dated 15.03.2023 regarding randomization of Polling and Police Personnel

2. Inst No. 464/INST/EPS/2023 (CAPFs) dated 14-06-2023

Madam/Sir,

I am directed to refer to the Commission's instructions under reference and provisions given in Manual on Force Deployment, 2023 and Handbook for Police Officers, 2023 on subject cited above.

2. Now, in line with the provisions related to randomization of Polling Personnel, the Commission has decided that "**Randomization of the State Police Personnel deployed at the polling station on the day of Poll shall be done in the presence of Police Observer(s) deployed for the constituencies in that District**".

3. All other conditions mentioned in Commission letters referred above, Manual on Force Deployment, 2023 and Handbook for Police Officers, 2023 shall remain unchanged.

4. This may be brought to the notice of all District Election Officers, Superintendent of Police, Commissioner of Police, Returning Officers, Sector Officers and all other concerned officers/officials.

Yours faithfully,



23/02/2026

(SANJEEV KUMAR PRASAD)
SECRETARY